



गौवंश तस्कर गिरफ्तार

गौवंशीय पशुओ की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट कानपुर नगर द्वारा निर्गत निर्देशो के अनुपालन में श्रीमान अपर पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट कानपुर नगर व श्रीमान पुलिस उपायुक्त पूर्वी कानपुर नगर व श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त चकेरी कमिश्नरेट कानपुर नगर के निकट निर्देश में दिनांक-09.01.2023 को प्रभारी निरीक्षक महाराजपुर मय हमराही पुलिस बल के साथ प्रभावी अभियान चलाया गया । इस अभियान के तहत पुलिस बल द्वारा महिन्द्रा वी0सी0 मोटर्स के सामने कानपुर से प्रयागराज की तरफ जाने वाले रोड पर एम्बुस लगाकर मुखबिर की सूचना पर वाहन संख्या डीसीएम UP 83 BT 8799 को रोका गया चैक किया गया तो वाहन में 08 गाय, 01 बछड़ा, 01 बछिया कुल 10 जानवर बुरी तरह से वाहन में बधे पड़े मिले गौवंशीय की तस्करी कर वध करने के उद्देश्य से विक्री करने ले जा रहे अभियुक्त दलवीर सिंह पुत्र लालाराम निवासी जरुहौलिया जैतापुर थाना कोतवाली औरैया को समय 13.40 बजे गिरफ्तारी किया गया तथा अभियुक्त अजीरुद्दीन पुत्र अज्ञात निवासी बाबरपुर थाना अजीतमल जनपद औरैया, मौके से भाग गया जानवरो को सकुशल गौशाला में छोड़ा गया अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

01.दलवीर सिंह पुत्र लालाराम निवासी जरुहौलिया जैतापुर थाना कोतवाली औरैया उम्र 32 वर्ष

नाम पता भागा हुआ अभियुक्त-

01. अजीरुद्दीन पुत्र अज्ञात निवासी बाबरपुर थाना अजीतमल जनपद औरैया

आपराधिक इतिहास

01.मु0अ0सं0 0015/2023 धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम व धारा 3/5(क)/8 गौवध अधिनियम थाना महाराजपुर कमिश्नरेट कानपुर नगर ।

गिरफ्तार करने वाली टीम थाना महाराजपुर:-

- 01.श्री सतीश राठौर प्रभारी निरीक्षक महाराजपुर
02. उ0नि0श्री राजकुमार
03. उ0नि0श्री सुमित चौधरी
04. का0 3714 गुरुदीप सिंह
05. का0 4600 अंकुर कुमार
06. का0चा0 रामचन्द्र